वाणिज्य अ.ज.– 629

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.–प/2016–17/प्रे 3341 दिनांक 16.09.2016

आदेश

विषय : मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना।

समय–समय पर फील्ड अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि वर्तमान में गैर आबादी क्षेत्र में स्थित आवासों में विद्युत कनेक्शन के लिए कोई योजना नहीं है, जबकि इन क्षेत्रों में लगभग 4–5 लाख से अधिक आवास खेतों में एवं छितरायी हुई ढाणियों में स्थित है। ऐसे आवासों में कनेक्शन देने हेतु ग्रामीण नागरिकों की लगातार मांग के चलते **"मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना"** निम्नलिखित प्रावधानों के साथ आरम्भ की जा रही है :–

1. ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविद्युतिकृत ढाणियों में स्थित आवासों में घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक सभी रहवासी अपना आवेदन कनेक्शन हेतु पंजीकृत करा सकते है।
2. प्रथम चरण में 19 सितम्बर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक कनेक्शन के इच्छुक ग्रामीण पंजीकरण करवा सकते है। इसके लिये 100 रूपये पंजीकरण राशि संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा करानी होगी । पंजीकरण से किसी प्रकार की वरीयता निर्धारित नहीं होगी।
3. **तकनीकी साध्यता :–**
   - पंजीकृत सभी आवेदनों का सर्वे कर 30 नवम्बर, 2016 तक लोड सेन्टर का निर्धारण किया जावेगा। लोड सेन्टर की स्वीकृति अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जारी की जावेगी।
   - जो आवेदक स्थापित 11 केवी तंत्र से 650 मीटर के दायरे में स्थित होंगे, उन्ही के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।
   - स्थापित 11 के.वी. लाईन से 150 मीटर (2 स्पान सिंगल फेज) की सीमा में नया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित किया जावेगा।
   - लोड सेन्टर का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर कम से कम चार या उससे अधिक आवेदकों को कनेक्शन दिये जा सके।

- साध्य आवेदन अनुरूप लोड सेन्टर पर 5 या 10 के.वी.ए. क्षमता के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर कनेक्शन दिये जावेंगें।
- आवश्यकता होने पर ट्रांसफार्मर की वर्तमान क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी।
- स्थापित एल.टी. लाईन का विस्तार कर इस योजना में कनेक्शन नहीं दिये जावेंगे।

4. **कनेक्शन हेतु शुल्क**

- 11 केवी ट्रांसफार्मर 150 मीटर तक स्थापित किये जाने की स्थिति में 10,000 रूपये प्रति कनेक्शन मांग राशि ली जावेगी जिसमें आवेदन शुल्क, मीटर व अमानत राशि शामिल है।
- 150 मीटर से अधिक 500 मीटर तक 11 केवी लाइन स्थापित करने की स्थिति में 100 रूपये प्रति मीटर सर्वे में चिन्हित आवेदक ग्रुप से लिये जावेंगे।

5. **कनेक्शन की कार्यवाही :–**

- ट्रांसफार्मर पोल टॉप के नजदीक लगाया जावेगा।
- ट्रांसफार्मर पर बॉक्स स्थापित कर पोल पर ही एल.पी.आर. मीटर लगाकर कनेक्शन दिये जावेंगे, जिससे मीटर रीडींग हेतु पोल पर चढ़ने की आवश्यकता नही रहेगी।
- पोल पर स्थापित मीटर से आर्मड सर्विस लाईन आवास तक उपभोक्ता द्वारा स्वंय के खर्चे पर स्थापित की जावेगी।
- सामान्यतः सर्विस लाईन 500 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(बी.एम.भामू)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
अजमेर डिस्कॉम, अजमेर